न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—123/2020/223 आर.टी.एक्ट (2020/00123)

1. श्रीमती बादामी पत्नी स्व0 जीता वयस्क जाति रेगर निवासी ग्राम नरबदखेडा तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
2. सुशीला पुत्री स्व0 जीता वयस्क जाति रेगर निवासी ग्राम नरबदखेडा तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
3. पार्वती पुत्री स्व0 जीता वयस्क जाति रेगर निवासी ग्राम नरबदखेडा तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
4. रतनलाल पुत्र स्व0 जीता वयस्क जाति रेगर निवासी ग्राम नरबदखेडा तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
5. गजानन्द पुत्र स्व0 जीता वयस्क जाति रेगर निवासी ग्राम नरबदखेडा तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. श्री रूघालाल सुपुत्र नोला मृतक जरिए विधिक वारिसान
   1/1 श्री मोहनलाल पुत्र रूघालाल
   1/2 श्री राजेन्द्र पुत्र रूघालाल
   1/3 श्री हरसुखलाल पुत्र रूघालाल
   1/4 श्री रतनलाल पुत्र रूघालाल
   1/5 श्री कैलाश पुत्र रूघालाल मृतक जरिए विधिक वारिसान
   1/5/1 श्रीमती नर्मदा देवी बेवा श्री कैलाश
   1/5/2 श्री अजय पुत्र कैलाश
   1/5/3 श्री क्षेत्रपाल पुत्र कैलाश
   1/5/4 बसंती पुत्री कैलाश
   समस्त वयस्क जाति रेगरान निवासी नरबद खेडा तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
2. श्री भीखाराम पुत्र हीरा
3. श्री सोहनलाल पुत्र हीरा
4. श्रीमती सुवादेवी बेवा श्री हीरा मृतक जरिए विधिक वारिसान प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 एवं प्रत्यर्थी संख्या 22 से 26 जो पूर्व में रिकार्ड पर है।
   समस्त वयस्क जाति रेगरान निवासी नरबदखेडा तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
5. श्री ओमप्रकाश वयस्क पुत्र श्री लाखारामजी मृतक
   5/1 श्रीमती शांति बेवा ओमप्रकाश
   5/2 श्री राजेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश
   5/3 श्री चन्द्रशेखर पुत्र ओमप्रकाश
   5/4 श्री प्रमोद कुमार पुत्र ओमप्रकाश
   5/5 कु0 जसोदा पुत्री ओमप्रकाश
   5/6 श्री गोविन्द कुमार पुत्र ओमप्रकाश
   5/7 कु0 संगीता पुत्री ओमप्रकाश
   समस्त वयस्क जाति रेगरान निवासीयान गोपाल जी मौहल्ला ब्यावर
6. श्री अर्जुन पुत्र लाखा राम
7. श्री भंवर पुत्र लाखा राम
8. श्रीमती पुष्पादेवी पुत्री लाखा राम पत्नि उगमचंद जी
   समस्त वयस्क जाति रेगरान निवासीयान गोपाल जी मौहल्ला ब्यावर

9. श्री पारस पुत्र छोगा
10. पूरण पुत्र छोगा
11. शिव कुमार पुत्र सूरजमल
12. श्रीमती सायरी बेवा सूरजमल
13. श्री धर्मेन्द्र पुत्र सूरजमल
    समस्त वयस्क जाति रेगरान निवासीयान गोपाल जी मौहल्ला ब्यावर
14. श्री मेधराज पुत्र बालू वयस्क जाति रेगर निवासी नरबदखेडा तहसील ब्यावर
15. श्रीमती सम्पति पुत्री श्री बालू जी पत्नि श्री जसराज जी जाति रेगर मृतक जरिए विधिक वारिसान
    15/1 श्री पुरूषोतम पुत्र श्री जसराज
    15/2 सीता पुत्री श्री जसराज
    15/3 पुष्पा पुत्री श्री जसराज
    15/4 मिनाक्षी पुत्री श्री जसराज
    समस्त वयस्क जाति रेगरान निवासी ग्राम भुम्भलिया तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान
16. श्रीमती उमा पुत्री श्री बालू जी पत्नि श्री बज्जा राम जी जाति रेगर दोनों वयस्क निवासीयान मलूसर रोड अजमेर मृतक जरिए विधिक वारिसानः—
    16/1 श्री बजाराम पति श्रीमती उमा वयस्क
    16/2 श्री महेन्द्र पुत्र श्रीमती उमा वयस्क
    16/3 श्री शिवराज पुत्र श्रीमती उमा वयस्क
    16/4 विमला पुत्री श्रीमती उमा वयस्क
    16/5 सावित्री पुत्री श्रीमती उमा वयस्क
    16/6 गोटी पुत्री श्रीमती उमा वयस्क
    समस्त जाति रेगर निवासीगण मलूसर रोड, अजमेर।
17. श्रीमती रामेश्वरी बेवा श्री कन्हैयालाल मृतक जरिए विधि वारिसान प्रत्यर्थी संख्या 18 से 21 जो पूर्व में ही रिकार्ड पर है।
18. श्री सुरेश पुत्र कन्हैयालाल
19. मनोहर पुत्र कन्हैयालाल
20. श्रीमती संतोष पुत्री कन्हैयालाल मृतक जरिए विधिक वारिसानः—
    20/1 श्री नंदकिशोर पति श्रीमती संतोष वयस्क
    20/2 जया पुत्री श्रीमती संतोष वयस्क
    20/3 ज्योति पुत्री श्रीमती संतोष वयस्क
    20/4 गौरव पुत्र श्रीमती संतोष वयस्क
    समस्त जाति रेगरान निवासी—सुभाष नगर अजमेर।
21. श्रीमती सुशीला पुत्री कन्हैयालाल मृतक जरिए विधिक वारिसानः—
    21/1 श्री किशोर पति श्रीमती सुशीला
    21/2 आशीष पुत्र श्रीमती सुशीला
    21/3 प्रमिला उर्फ मुनिया पुत्री श्रीमती सुशीला
    21/4 लीना पुत्री श्रीमती सुशीला
    समस्त वयस्क जाति रेगरान निवासी सुभाषनगर, अजमेर।
22. श्रीमती मेना देवी पुत्री हीरा
23. श्रीमती भंवरी पुत्री हीरा
24. श्रीमती राधा पुत्री हीरा
25. श्रीमती सखू पुत्री हीरा
26. श्रीमती विमला पुत्री हीरा
    समस्त वयस्क जाति रेगर निवासीयान नरबदखेडा द्वारा श्री सोहनलाल जी 1/63 गणेशपुरा रोड हाउसिंग बोर्ड, ब्यावर
27. श्रीमती पतासी पुत्री लाखाराम

28. श्रीमती लीला पुत्री लाखाराम
29. श्रीमती लक्ष्मी पुत्री लाखाराम
    सभी वयस्क जाति रेगरान निवासीयान गोपाल जी मौहल्ला ब्यावर
30. श्री मिश्रीलाल पुत्र धासी
31. श्री पुखराज पुत्र धासी
32. श्री मांगीलाल पुत्र धासी
    समस्त वयस्क जाति रेगर निवासीयान नरबदखेडा द्वारा श्रीमती चांदा देवी पत्नि श्री मांगीलाल जी हाल मु0 हाउसिंग बोर्ड निवासी साकेत नगर सैक्टर नम्बर 1 जागृति स्कूल के पास ब्यावर
33. श्रीमती निर्मला पुत्री छोगा पत्नि श्री सायरलाल वयस्क जाति रेगर मार्फत श्रीमती सायरी बेवा सूरजमल जी रेगरान बडावास गोपाल जी मौहल्ला ब्यावर मृतक जरिए विधिक वारिसान प्रत्यर्थी संख्या 9 से 13 एवं प्रत्यर्थी संख्या 34 से 36 जो पूर्व में ही रिकार्ड पर है।
34. कु0 पिंकी उम्र 17 वर्ष पुत्र सूरजमल
35. कु0 गायत्री उम्र 09 वर्ष पुत्री सूरजमल
36. कु0 पूजा उम्र 07 वर्ष पुत्री सूरजमल
    समस्त वयस्क जाति रेगरान निवासीयान गोपालजी मौहल्ला ब्यावर
37. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार ब्यावर
38. श्री लक्षमण पुत्र केसा दोनों जाति रेगरान निवासी नरबदखेडा, ब्यावर मृतक जरिए विधिक वारिसानः—
    38/1 श्रवण पुत्र लक्ष्मण वयस्क जाति रेगर निवासी नरबदखेडा, तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
    38/2 राजेश पुत्र लक्ष्मण वयस्क जाति रेगर निवासी नरबदखेडा, तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
    38/3 संतोष पुत्री लक्ष्मण वयस्क जाति रेगर निवासी नरबदखेडा, तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
    38/4 मंजू पुत्री लक्ष्मण वयस्क जाति रेगर निवासी नरबदखेडा, तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
    38/5 सुन्दरी पत्नि लक्ष्मण वयस्क जाति रेगर निवासी नरबदखेडा, तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

39. रतनलाल पुत्र स्व0 जीता वयस्क जाति रेगर निवासी ग्राम नरबदखेडा तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

प्रफोर्मा प्रत्यर्थीगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर दिनांक 11.03.2008 एवं संशोधित डिक्री एवं निर्णय दिनांक 20.10.2014 राजस्व वाद संख्या 75/2004.

उपस्थितः—

1. श्री वी0एस0भाटी अभिभाषक अपीलांट
2. श्री अमित कसौटिया अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/5/4
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 37
4. रेस्पोडेंट संख्या 2, 3, 5/1 से 15/4, 16/1 से 32, 34 से 36, 38/1 से 38/5 व 39 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—25.03.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 75/2004 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.03.2008 एवं संशोधित डिक्री एवं निर्णय दिनांक 20.10.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 13 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या 14 लगायत 38 एवं अपीलार्थी संख्या 1 के पति एवं अपीलार्थी संख्या 2 से 5 एवं प्रफोर्मा प्रत्यर्थी संख्या 39 के पिता श्री जीता पुत्र केसा के विरूद्ध प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण के उक्त वाद पत्र पर अपीलार्थी संख्या 1 के पति एवं अपीलार्थी संख्या 2 से 5 एवं प्रफोर्मा प्रत्यर्थी संख्या 39 के पिता एवं प्रफोर्मा प्रत्यर्थी संख्या 8 को सुनवाई का अवसर दिए बिना एक तरफा सुनवाई कर दिनांक 11.03.2008 को वादीगण के वाद पत्र को डिक्री किया एवं तत्पश्चात दिनांक 20.10.2014 को संशोधित डिक्री किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 75/2004 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.03.2008 एवं संशोधित डिक्री एवं निर्णय दिनांक 20.10.2014 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 2, 3, 5/1 से 15/4, 16/1 से 32, 34 से 36, 38/1 से 38/5 व 39 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर कथन किया कि अपीलार्थीगण एवं प्रफोर्मा प्रत्यर्थी संख्या 39 ने एकतरफा डिक्री व निर्णय दिनांक 11.03.2008 एवं संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.10.2014 जो राजस्व वाद संख्या 75/2004 उनवान श्री रूघालाल व अन्य बनाम श्री मेघराज व अन्य में पारित निर्णय को अपास्त करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र अपने पूर्व अधिवक्ता श्री पंकज गदिया के जरिये अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के समक्ष पेश करवाया था और अपीलार्थीगण एवं प्रफोर्मा प्रत्यर्थी संख्या 39 के पूर्व अधिवक्ता ने अपीलार्थीगण एवं प्रफोर्मा प्रत्यर्थी संख्या 39 को यह पूर्ण विश्वास दिलाया की वह अपीलार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करवा देगा और एकतरफा डिक्री व निर्णय दिनांक 11.03.2008 एवं संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.10.2014 को अपास्त करवा देगा इसलिए एकतरफा डिक्री व निर्णय दिनांक 11.03.2008 एवं संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.10.2014 की अपील करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलार्थीगण ग्रामीण परिवेश के लोग है तथा ज्यादा पढे लिखे नहीं है इसलिए उनको कानून की ज्यादा जानकारी भी नहीं है इसलिए अपीलार्थीगण पूर्णतया अपने पूर्व अधिवक्ता की बात पर विश्वास कर एकतरफा डिक्री व निर्णय दिनांक 11.03.2008 एवं संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.10.2014 की अपील नहीं की क्योकि अपीलार्थीगण को अपने पूर्व अधिवक्ता के कथनों पर पूरा विश्वास था कि उनके विरूद्ध पारित एकतरफा डिक्री व निर्णय दिनांक 11.03.2008 एवं संशोधित निर्णय व

डिक्री दिनांक 20.10.2014 को अपास्त करने का उनका प्रार्थना पत्र स्वीकार होगा और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एक पक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 11.03.2008 एवं संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.10.2014 अपास्त होगा इसलिए अपीलार्थीगण इस अंदेशे में थे कि एकतरफा डिक्री व निर्णय दिनांक 11.03.2008 एवं संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.10.2014 को अपास्त करने की कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय में चल रही है और उनके पूर्व अधिवक्ता द्वारा एक पक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 11.03.2008 एवं संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.10.2014 को अपास्त करने का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में खारिज हो गया हो इसकी कोई सूचना अपीलार्थीगण को नहीं दी। दिनांक 13.07.2020 को जब वादीगण/प्रत्यर्थीगण संख्या 9,10,11,12,13 एवं प्रतिवादी संख्या 20 (प्रत्यर्थी संख्या 33), प्रतिवादी संख्या 22 (प्रत्यर्थी संख्या 38) व प्रतिवादी संख्या 24 से 26 (प्रत्यर्थी संख्या 34 से 36) तथा वादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 से 8 व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 16 (प्रत्यर्थी संख्या 14 से 29) अपीलार्थीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 1 रकबा 5 बीघा 15 बीस्वा किस्म बारानी–2 जिसके नये खसरा संख्या 1 रकबा 5 बीघा 14 बीस्वा किस्म बारानी 2 एंव खसरा संख्या 2 रकबा 1 बीस्वा किस्म चाह तथा साबिक खसरा संख्या 2 रकबा 13 बीस्वा 10 बीस्वानसी किस्म दडा पर आये और अपीलार्थीगण को कहा की उक्त आराजी बाबत न्यायालय में उनके हक में फैसला हो गया है इसलिए वे उक्त आराजी पर कब्जा करेंगे तब अपीलार्थीगण ने न्यायालय में उक्त आदेश दिनांक 29.06.2016 की नकल हेतु दिनांक 14.07.2020 को आवेदन किया एवं उक्त आदेश की प्रति प्राप्त की तब अपीलार्थीगण को उक्त आदेश दिनांक 29. 06.2016 की प्रथम बार जानकारी दिनांक 14.07.2020 को हुई कि उनके द्वारा एकतरफा डिक्री व निर्णय दिनांक 11.03.2008 एवं संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.10.2014 को अपास्त करने का प्रार्थना पत्र खारिज हो गया तत्पश्चात अपीलार्थीगण ने इस बाबत विधिक सलाहकार से सलाह ली जिस पर अपीलार्थीगण को पता चला कि उक्त निर्णय एंव डिक्री की अपील अजमेर में होगी जिस पर अपीलार्थीगण ने अजमेर आकर अधिवक्ता का पता किया एंव अधिवक्ता से सम्पर्क कर उक्त अपील को तैयार करवाकर पेश की इसलिए उक्त अपील को पेश करने में विलम्ब हुआ जो कि विलम्ब सद्भाविक विलम्ब है जिसको कन्डोन किया जाना उचित है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

INDIAN LIMITATION ACT, 1963-SECTION 5 - *CONDONATION OF DELAY-COURT SHOULD ADOPT LIBERAL APPROACH IN CONDONING DELAY.*

चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारो को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराश्य नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि वादीगण ने एक वाद संख्या 75/2004 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके सम्मन व नोटिस की तामील कभी भी प्रतिवादी संख्या 21 जीता वल्द केसा एवं प्रतिवादी संख्या 22 श्री लक्ष्मण वल्द केसा को उनके जीवनकाल में कभी नहीं हुई न ही उन्हें उनके जीवनकाल में उक्त मुकदमें की जानकारी रही व न ही किसी भी अन्य पक्षकारान के द्वारा भी कभी भी उक्त मुकदमें की जानकारी इन्हें दी गयी। इसकी ताईद इस तथ्य से हो जाती है कि प्रतिवादी संख्या 21 जीता वल्द केसा को न्यायालय द्वारा दिनांक 02.02.2005 के लिये जारीशुदा सम्मन व नोटिस ना तो प्राप्त हुए ना ही न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 21 जीता वल्द केसा के नाम के सम्मन जारी किये गये ना ही दिनांक 02.02.2005 के सम्मन प्रतिवादी संख्या 21 जीता वल्द केसा के नाम के न्यायालय की पत्रावली में ही मौजूद है। इतना ही नहीं न्यायालय की प्रोसीडिंग दिनांक 02.02.2005 में प्रतिवादी संख्या 21 की उपस्थिति बाबत भी अंकन है जबकि ना तो प्रतिवादी संख्या 21 जीता वल्द केसा के कोई हस्ताक्षर है ना ही कोई अंगूठा निशानी ही प्रोसीडिंग दिनांक 02.02.2005 में मौजूद है। दिनांक 09.08.2005 को न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 5 से 8 व 20 व 21 के सम्मन अदम तामील प्राप्त पुनः तलवाना पेश होने पर जारी हो की प्रोसीडिंग ड्रॉ की है इससे स्वतः ही साबित है कि दिनांक 09.08.2005 से पूर्व ही प्रतिवादी संख्या 21 जीता वल्द केसा को उक्त प्रकरण के सम्मन तामील नहीं हुए। उक्त प्रोसीडिंग दिनांक 09.08.2005 के पश्चात प्रतिवादी संख्या 21 जीता वल्द केसा के कोई सम्मन व नोटिस वादीगण के द्वारा नहीं भरे गये। उपरान्त इसके दिनांक 30. 08.2005 की प्रोसीडिंग में किसी कथित जीवराज के वादीगण के गलत व गैर कानूनी रूप से प्रोसीडिंग पर हस्ताक्षर करवा लिये। जबकि जीवराज ना तो प्रतिवादी संख्या 21 है व न ही प्रतिवादी संख्या 21 के परिवारजन में कोई जीवराज नाम का कोई व्यक्ति है। तत्पश्चात् दिनांक 17.10.2005 को प्रतिवादी संख्या 21 जीता वल्द केसा के सम्मन स्वयं को तामील होने के पश्चात उपस्थित नहीं के कारण प्रतिवादी संख्या 21 जीता वल्द केसा के विरूद्ध

एकतरफा कार्यवाही दिनांक 17.10.2005 को की गयी जबकि दिनांक 17.10. 2005 के पूर्व कोई सम्मन प्रतिवादी संख्या 21 जीता वल्द केसा को व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं हुए और ना ही कोई तामीलशुदा सम्मन पत्रावली पर ही मौजूद है। वादीगण ने गलत व गैर कानूनी रूप से प्रतिवादी संख्या 21 जीता वल्द केसा को सम्मन की तामील करवाये बिना अधीनस्थ न्यायालय में गलत बयानबाजी कर प्रतिवादी संख्या 21 जीता वल्द केसा विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करवाकर एकतरफा निर्णय व डिक्री प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 22 लक्ष्मण वल्द केसा अपने परिवार सहित सन् 2004 से कई वर्ष पूर्व से अपने जीवनकाल तक बम्बई में निवास करता रहा है उसे भी उक्त प्रकरण की ना तो कभी जानकारी हुई ना ही अधीनस्थ न्यायालय के उसे भी कभी भी कोई नोटिस व/सम्मन प्राप्त नहीं हुए। वादीगण ने जानबूझकर संबंधित तामील पुलिन्दा से मिलकर प्रतिवादी संख्या 22 लक्ष्मण के फर्जी हस्ताक्षरों की कूटरचना कर प्रतिवादी संख्या 22 के विरूद्ध भी दिनांक 17.10. 2005 को एकतरफा कार्यवाही करवाकर प्रतिवादी संख्या 22 के विरूद्ध भी एकतरफा निर्णय व डिक्री प्राप्त की। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल वादीगण को ही सुना जाकर गैर कानूनी रूप से वादीगण के कहे अनुसार एवं वादीगण के मनमाफिक, एकतरफा डिक्री व निर्णय दिनांक 11.03. 2008 पारित किया एवं तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 21 जीता वल्द केसा की मृत्यु दिनांक 29.04.2014 एवं प्रतिवादी संख्या 22 लक्ष्मण वल्द केसा की मृत्यु दिनांक 11.07.2008 को मृत्यु हो गयी जिसकी वादीगण को भलीभांति जानकारी होने के उपरान्त भी उनके विधिक उत्तराधिकारीगण को पक्षकार बनाये बिना ही एकतरफा संशोधित डिक्री व निर्णय भी दिनांक 20.10.2014 को पारित किया 'जो अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.03.2008 के पृष्ठ संख्या 4 की लाईन संख्या 9 व 10 में अंकित तथ्यों से साबित है" एवं अपीलार्थी संख्या 1 के पति एंव अपीलार्थी संख्या 2 से 5 एवं प्रफोर्मा प्रत्यर्थी संख्या 39 के पिता एवं प्रफोर्मा प्रत्यर्थी संख्या 38 को किसी प्रकार का कोई सुनवायी का अवसर नहीं दिया इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त Audi alteram partem (give opportunity to hear to opposite pary also) का पूर्णतया उल्लंघन कर उक्त जैर अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 11.03.2008 एवं संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.10.2014 पारित किया इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय व डिक्री अपास्तनीय है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी 1362 फसली लगायत सन् 1363 फसली में खाता नम्बर 57 के खसरा संख्या 1,2,3,4,6,7 एवं 566 मेघराज वल्द रिद्यकरन कौम महाजन साखिन हाल मौजूदा ईटारसीखान देश गैर हाजिर राहिन कल्याणमल वलद छगनमल कौम महाजन साकिन भवानीखेडा हाल मौजूदा नयानगर मुरतहेन के नाम से दर्ज है जिसमें वादीगण का कोई नाम नहीं है जिसको देखे बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 11. 03.2008 एवं सशोधित निर्णय दिनांक 20.10.2014 पारित किया जो अपास्तनीय है। साबिक खसरा संख्या 1 रकबा 5 बीघा 15 बीस्वा किस्म बारानी–2 जिसके नये खसरा संख्या 1 रकबा 5 बीघा 14 बीस्वा किस्म बारानी 2 एवं खसरा संख्या 2 रकबा 1 बीस्वा किस्म चाह तथा साबिक खसरा संख्या 2 रकबा 13 बीस्वा 10 बीस्वानसी किस्म दांती जिसका नया खसरा संख्या 3 रकबा 13 बीस्वा 10 बीस्वानसी किस्म दडा, तन्हा अपीलार्थी संख्या 1 के पति एंव अपीलार्थी संख्या 2 से 5 एवं प्रफोर्मा प्रत्यर्थी संख्या 39 के पिता जीता वल्द केसा कौम रेगर साकिन देह काश्तकार शिकमी मुद्दत 17 साल के नाम दर्ज है जो राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2016 से 2019 एवं भू प्रबन्ध विभाग के मिलान क्षेत्रफल से साबित है। यहाँ यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि उक्त साबिक खसरा संख्या 1 रकबा 5 बीघा 15 बीस्वा किस्म

बारानी–2 जिसके नये खसरा संख्या 1 रकबा 5 बीघा 14 बीस्वा किस्म बारानी 2 एवं खसरा संख्या 2 रकबा 1 बीस्वा किस्म चाह तथा साबिक खसरा संख्या 2 रकबा 13 बीस्वा 10 बीस्वानसी किस्म दांती जिसका नया खसरा संख्या 3 रकबा 13 बीस्वा 10 बीस्वानसी किस्म दडा बनें सन् फसली 1350 में प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 8 एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 16 (प्रत्यर्थी संख्या 14 से 29) के पूर्वज बालू हीरा लाखा व रूघा पि० नोला के नाम दर्ज नहीं है ना ही वादी संख्या 9 लगायत 13 (प्रत्यर्थी संख्या 9 लगायत 13) एवं प्रतिवादी संख्या 20 (प्रत्यर्थी संख्या 33) तथा प्रतिवादी संख्या 24 से 26 (प्रत्यर्थी संख्या 34 से 36) के पूर्वज का नाम ही दर्ज है ना ही प्रतिवादी संख्या 22 (प्रत्यर्थी संख्या 38) का नाम ही दर्ज है ना ही वादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 8 एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 16 (प्रत्यर्थी संख्या 14 से 29) के पूर्वज बालू हीरा लाखा व रूघा पि० नोला के नाम दर्ज नहीं है ना ही वादी/प्रत्यर्थी संख्या 9 लगायत 13 एवं प्रतिवादी संख्या 20 (प्रत्यर्थी संख्या 33) तथा प्रतिवादी संख्या 24 से 26 (प्रत्यर्थी संख्या 34 से 36) के पूर्वज का नाम ही दर्ज है ना ही प्रतिवादी संख्या 22 (प्रत्यर्थी संख्या 38) का नाम ही दर्ज है। इसी प्रकार साबिक खसरा संख्या 3 रकबा 11 बीस्वा किस्म गैर मेड़, जिसका नया खसरा संख्या 5 रकबा 11 बीस्वा बना तथा खसरा संख्या 4 रकबा 5 बीघा 14 बीस्वा 10 बीस्वानसी किस्म बारानी–2 जिसका नया खसरा संख्या 5 रकबा 4 बीघा 16 बीस्वा 10 बीस्वानसी बना एवं खसरा संख्या 566 रकबा 12 बीस्वा 10 बीस्वानसी किस्म डोल जिसका नया खसरा संख्या 625 रकबा 12 बीस्वा 10 बीस्वानसी किस्म बारानी–2 बना, वादी/प्रत्यर्थी संख्या 9 लगायत 13 एवं प्रतिवादी संख्या प्रतिवादी संख्या 20 (प्रत्यर्थी संख्या 33) तथा प्रतिवादी संख्या 24 से 26 (प्रत्यर्थी संख्या 34 से 36) के पूर्वज बिरदा वल्द नृसिंह कौम रेगर साकिन देह काश्तकार शिकमी मुद्दत 17 साल दर्ज है जो राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2016 से 2019 से साबित है। इसी प्रकार साबिक खसरा संख्या 6 रकबा 6 बीघा 6 बीस्वा 10 बीस्वानसी किस्म बारानी–2 जिसके नये खसरा संख्या 7 रकबा 1 बीघा 16 बीस्वा 10 बीस्वानसी, खसरा संख्या 8 रकबा 1 बीघा 10 बीस्वा, खसरा संख्या 9 रकबा 1 बीघा 10 बीस्वा एवं खसरा संख्या 10 रकबा 1 बीघा 10 बीस्वा तथा खसरा संख्या 7 रकबा 7 बीघा किस्म बारानी–2 जिसके नये खसरा संख्या 11 रकबा 11 बीस्वा, खसरा संख्या 12 रकबा 18 बीस्वा, खसरा संख्या 13 रकबा 18 बीस्वा, खसरा संख्या 14 रकबा 16 बीस्वा 10 बीस्वानसी, खसरा संख्या 15/1 रकबा 12 बीस्वा, खसरा संख्या 15/2 रकबा 3 बीस्वा, खसरा संख्या 16/1 रकबा 14 बीस्वा 10 बीस्वानसी, खसरा संख्या 16/2 रकबा 4 बीस्वा, खसरा संख्या 17/1 रकबा 17 बीस्वा, खसरा संख्या 17/2 रकबा 3 बीस्वा, खसरा संख्या 18/1 रकबा 19 बीस्वा 10 बीस्वानसी, खसरा संख्या 18/2 रकबा 2 बीस्वा एवं खसरा संख्या 19 रकबा 8 बीस्वा 10 बीस्वानसी बने के वादी/ प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 8 एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 16 (प्रत्यर्थी संख्या 14 से 29) के नाम दर्ज है पूर्वज बालू हीरा लाखा व रुघा के जो राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सन् फसली 1350 एवं राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2016 से 2019 से भली भांति साबित है। इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2016 से 2019 से यह भलीभांति साबित है कि साबिक खसरा संख्या 1 रकबा 5 बीघा 15 बीस्वा किस्म बारानी–2 जिसके नये खसरा संख्या 1 रकबा 5 बीघा 14 बीस्वा किस्म बारानी 2 एवं खसरा संख्या 2 रकबा 1 बीस्वा किस्म चाह तथा साबिक खसरा संख्या 2 रकबा 13 बीस्वा 10 बीस्वानसी किस्म दांती जिसका नया खसरा संख्या 3 रकबा 13 बीस्वा 10 बीस्वानसी किस्म दडा, तन्हा अपीलार्थी संख्या 1 के पति एंव अपीलार्थी संख्या 2 से 5 एवं प्रफोर्मा प्रत्यर्थी संख्या 39 के पिता जीता वल्द केसा कौम रेगर

साकिन देह काश्तकार शिकमी मुद्दत 17 साल के नाम दर्ज है जिससे प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 13 एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 16 (प्रत्यर्थी संख्या 14 से 29) तथा प्रतिवादी संख्या 20 (प्रत्यर्थी संख्या 33) एवं प्रतिवादी संख्या 22, (प्रत्यर्थी संख्या 38) एवं प्रतिवादी संख्या 24. 25 एवं 26 (प्रत्यर्थी संख्या 34 से 36) का उक्त आराजी से कोई वास्ता सरोकार संबंध नही है। इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2016 से 2019 से यह भली भांति साबित है कि साबिक खसरा संख्या 3 रकबा 11 बीस्वा किस्म गैर मेड़, जिसका नया खसरा संख्या 5 रकबा 11 बीस्वा बना तथा खसरा संख्या 4 रकबा 5 बीघा 14 बीस्वा 10 बीस्वानसी किस्म बारानी–2 जिसका नया खसरा संख्या 5 रकबा 4 बीघा 16 बीस्वा 10 बीस्वानसी बना एवं खसरा संख्या 566 रकबा 12 बीस्वा 10 बीस्वानसी किस्म डोल जिसका नया खसरा संख्या 625 रकबा 12 बीस्वा 10 बीस्वानसी किस्म बारानी–2 बना, वादी/प्रत्यर्थी संख्या 9 लगायत 13 एवं प्रतिवादी संख्या प्रतिवादी संख्या 20 (प्रत्यर्थी संख्या 33) तथा प्रतिवादी संख्या 24 से 26 (प्रत्यर्थी संख्या 34 से 36) के पूर्वज बिरदा वल्द नृसिंह कौम रेगर साकिन देह काश्तकार शिकमी मुद्दत 17 साल दर्ज है इस प्रकार वादी/प्रत्यर्थी संख्या 9 लगायत 13 एवं प्रतिवादी संख्या प्रतिवादी संख्या 20 (प्रत्यर्थी संख्या 33) तथा प्रतिवादी संख्या 24 से 26 (प्रत्यर्थी संख्या 34 से 36) केवल साबिक खसरा संख्या 3 रकबा 11 बीस्वा किस्म गैर मेड़, खसरा संख्या 4 रकबा 5 बीघा 14 बीस्वा 10 बीस्वानसी किस्म बारानी 2 एवं खसरा संख्या 566 रकबा 12 बीस्वा 10 बीस्वानसी किस्म डोल के ही काश्तकार है। इसी प्रकार वादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 8 एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 16 (प्रत्यर्थी संख्या 14 से 29) साबिक खसरा संख्या 6 रकबा 6 बीघा 6 बीस्वा 10 बीस्वानसी किस्म बारानी–2 जिसके नये खसरा संख्या 7 रकबा 1 बीघा 16 बीस्वा 10 बीस्वानसी, खसरा संख्या 8 रकबा 1 बीघा 10 बीस्वा, खसरा संख्या 9 रकबा 1 बीघा 10 बीस्वा एवं खसरा संख्या 10 रकबा 1 बीघा 10 बीस्वा बनें तथा खसरा संख्या 7 रकबा 7 बीघा किस्म बारानी–2 जिसके नये खसरा संख्या 11 रकबा 11 बीस्वा, खसरा संख्या 12 रकबा 18 बीस्वा, खसरा संख्या 13 रकबा 18 बीस्वा, खसरा संख्या 14 रकबा 16 बीस्वा 10 बीस्वानसी, खसरा संख्या 15/1 रकबा 12 बीस्वा, खसरा संख्या 15/2 रकबा 3 बीस्वा, खसरा संख्या 16/1 रकबा 14 बीस्वा 10 बीस्वानसी, खसरा संख्या 16/2 रकबा 4 बीस्वा, खसरा संख्या 17/1 रकबा 17 बीस्वा, खसरा संख्या 17/2 रकबा 3 बीस्वा, खसरा संख्या 18/1 रकबा 19 बीस्वा 10 बीस्वानसी, खसरा संख्या 18/2 रकबा 2 बीस्वा एवं खसरा संख्या 19 रकबा 8 बीस्वा 10 बीस्वानसी बने के ही काश्तकार है। इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2016 से 2019 में साबिक खसरा संख्या 1 रकबा 5 बीघा 15 बीस्वा किस्म बारानी–2 जिसके नये खसरा संख्या 1 रकबा 5 बीघा 14 बीस्वा किस्म बारानी 2 एवं खसरा संख्या 2 रकबा 1 बीस्वा किस्म चाह तथा साबिक खसरा संख्या 2 रकबा 13 बीस्वा 10 बीस्वानसी किस्म दांती जिसका नया खसरा संख्या 3 रकबा 13 बीस्वा 10 बीस्वानसी किस्म दडा, अपीलार्थी संख्या 1 के पति एंव अपीलार्थी संख्या 2 से 5 एवं प्रफोर्मा प्रत्यर्थी संख्या 39 के पिता जीता पुत्र केसा की खातेदारी में पृथक से दर्ज था। इसी प्रकार साबिक खसरा संख्या 3 रकबा 11 बीस्वा किस्म गैर मेड़, जिसका नया खसरा संख्या 5 रकबा 11 बीस्वा बना तथा खसरा संख्या 4 रकबा 5 बीघा 14 बीस्वा 10 बीस्वानसी किस्म बारानी–2 जिसका नया खसरा संख्या 5 रकबा 4 बीघा 16 बीस्वा 10 बीस्वानसी बना एवं खसरा संख्या 566 रकबा 12 बीस्वा 10 बीस्वानसी किस्म डोल जिसका नया खसरा संख्या 625 रकबा 12 बीस्वा 10 बीस्वानसी किस्म बारानी–2 वादी/प्रत्यर्थी संख्या 9 लगायत 13 एवं प्रतिवादी सख्या प्रतिवादी संख्या 20 (प्रत्यर्थी संख्या 33) तथा

प्रतिवादी संख्या 24 से 26 (प्रत्यर्थी संख्या 34 से 36) के पूर्वज बिरदा वल्द नृसिंह कौम रेगर की खातेदारी में पृथक से दर्ज था। इसी प्रकार साबिक खसरा संख्या 6 रकबा 6 बीघा 6 बीस्वा 10 बीस्वानसी किस्म बारानी–2 जिसके नये खसरा संख्या 7 रकबा 1 बीघा 16 बीस्वा 10 बीस्वानसी, खसरा संख्या 8 रकबा 1 बीघा 10 बीस्वा, खसरा संख्या 9 रकबा 1 बीघा 10 बीस्वा एवं खसरा संख्या 10 रकबा 1 बीघा 10 बीस्वा बनें तथा खसरा संख्या 7 रकबा 7 बीघा किस्म बारानी–2 जिसके नये खसरा संख्या 11 रकबा 11 बीस्वा, खसरा संख्या 12 रकबा 18 बीस्वा, खसरा संख्या 13 रकबा 18 बीस्वा, खसरा संख्या 14 रकबा 16 बीस्वा 10 बीस्वानसी, खसरा संख्या 15/1 रकबा 12 बीस्वा, खसरा संख्या 15/2 रकबा 3 बीस्वा, खसरा संख्या 16/1 रकबा 14 बीस्वा 10 बीस्वानसी, खसरा संख्या 16/2 रकबा 4 बीस्वा, खसरा संख्या 17/1 रकबा 17 बीस्वा, खसरा संख्या 17/2 रकबा 3 बीस्वा, खसरा संख्या 18/1 रकबा 19 बीस्वा 10 बीस्वानसी, खसरा संख्या 18/2 रकबा 2 बीस्वा एवं खसरा संख्या 19 रकबा 8 बीस्वा 10 बीस्वानसी बने वादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 8 एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 16 (प्रत्यर्थी संख्या 14 से 29) के पूर्वज बालू हीरा लाखा व रूघा पि० नोला कौम रेगर की खातेदारी में पृथक से दर्ज था जो राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सन् फसली 1350 एवं राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2016 से 2019 से साबित है। इस प्रकार साबिक खसरा संख्या 1,2,3,4,6,7 एवं 566 की खातेदारी जो उपरोक्तानुसार अलग अलग दर्ज थी उसे गलत व गैर कानूनी रूप से बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश व डिक्री के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2024 से 2027 की मे उक्त खसरा संख्या 1,2,3,4,6,7 एवं 566 को सम्मिलित रूप से जीता वल्द केसा व बिरदा वल्द नृसिंह बहिस्सा बराबर एक हिस्सा व बालू हीरा लाखा रूघा पि० नोला बहिस्सा बराबर एक हिस्सा गलत दर्ज कर दिया जबकि साबिक खसरा संख्या 1 रकबा 5 बीघा 15 बीस्वा किस्म बारानी–2 जिसके नये खसरा संख्या 1 रकबा 5 बीघा 14 बीस्वा किस्म बारानी–2 एवं खसरा संख्या 2 रकबा 1 बीस्वा किस्म चाह तथा साबिक खसरा संख्या 2 रकबा 13 बीघा 10 बीस्वानसी किस्म दांती जिसका नया खसरा संख्या 3 रकबा 13 बीघा 10 बीस्वानसी किस्म दडा पर कब्जा काश्त पृथक रूप से तन्हा अपीलार्थी संख्या 1 के पति एंव अपीलार्थी संख्या 2 से 5 एवं प्रफोर्मा प्रत्यर्थी संख्या 39 के पिता जीता पुत्र केसा का चला आ रहा है जिसके देहांत के पश्चात उनके वारिस अपीलार्थीगण का चले आ रहे है। इसी प्रकार खसरा संख्या 3 रकबा 11 बीस्वा किस्म गैर मेड, जिसका नया खसरा संख्या 5 रकबा 11 बीस्वा बना तथा खसरा संख्या 4 रकबा 5 बीघा 14 बीस्वा 10 बीस्वानसी किस्म बारानी–2 जिसका नया खसरा संख्या 5 रकबा 4 बीघा 16 बीस्वा 10 बीस्वानसी बना एवं खसरा संख्या 566 रकबा 12 बीस्वा 10 बीस्वानसी किस्म डोल जिसका नया खसरा संख्या 625 रकबा 12 बीस्वा 10 बीस्वानसी किस्म बारानी–2 बना पर कब्जा काश्त पृथक से वादी/प्रत्यर्थी संख्या 9 लगायत 13 एवं प्रतिवादी संख्या 20 (प्रत्यर्थी संख्या 33) तथा प्रतिवादी संख्या 24 से 26 (प्रत्यर्थी संख्या 34 से 36) के पूर्वज बिरदा वल्द नृसिंह का चला आ रहा है जिसके देहांत के पश्चात उनके वारिसान का कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसी प्रकार साबिक खसरा संख्या 6 रकबा 6 बीघा 6 बीस्वा 10 बीस्वानसी किस्म बारानी–2 जिसके नये खसरा संख्या 7 रकबा 1 बीघा 16 बीस्वा 10 बीस्वानसी, खसरा संख्या 8 रकबा 1 बीघा 10 बीस्वा, खसरा संख्या 9 रकबा 1 बीघा 10 बीस्वा एवं खसरा संख्या 10 रकबा 1 बीघा 10 बीस्वा बनें तथा खसरा संख्या 7 रकबा 7 बीघा किस्म बारानी–2 जिसके नये खसरा संख्या 11 रकबा 11 बीस्वा, खसरा संख्या 12 रकबा 18 बीस्वा, खसरा संख्या 13 रकबा 18 बीस्वा, खसरा संख्या 14 रकबा 16 बीस्वा

10 बीस्वानसी, खसरा संख्या 15/1 रकबा 12 बीस्वा, खसरा संख्या 15/2 रकबा 3 बीस्वा, खसरा संख्या 16/1 रकबा 14 बीस्वा 10 बीस्वानसी, खसरा संख्या 16/2रकबा 4 बीस्वा, खसरा संख्या 17/1 रकबा 17 बीस्वा, खसरा संख्या 17/2 रकबा 3 बीस्वा, खसरा संख्या 18/1 रकबा 19 बीस्वा 10 बीस्वानसी, खसरा संख्या 18/2 रकबा 2 बीस्वा एवं खसरा संख्या 19 रकबा 8 बीस्वा 10 बीस्वानसी पर पृथक कब्जा काश्त वादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 8 एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 16 (प्रत्यर्थी संख्या 14 से 29) के पूर्वज बालू हीरा लाखा व रूघा का चला आ रहा है जिनके देहांत के पश्चात उनके वारिसान का कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसकी पूर्णतया अनदेखी कर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित कर भूल की है। तत्पश्चात पश्चातवर्ती राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2041 से 2044, में गैर कानूनी रूप से हाल खसरा संख्या 1 रकबा 5 बीघा 14 बीस्वा किस्म बारानी–2 गैर कानूनी रूप से जीता लक्ष्मण पि० केसा छोगा पुत्र बिरदा कौम रेगर के नाम दर्ज कर दिया एवं खसरा संख्या 2 रकबा 1 बीस्वा किस्म चाह एवं खसरा संख्या 3 रकबा 13 बीस्वा 10 बीस्वानसी किस्म दडा जीता लक्ष्मण पुत्र केसा हिस्सा 1/2 छोगा पुत्र बिरदा हिस्सा 1/2 बालू लाखा पि० रूघा भीखा सोहन पि० हीरा के नाम गैर कानूनी रूप से दर्ज कर दिया जो पश्चातवर्ती राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2046 से 2049,2050 से 2053,2054 से 2057,2058 से 2061, 2065 से 2068 एवं 2069 से 2072 में भी हाल खसरा संख्या 1 रकबा 5 बीघा 14 बीस्वा किस्म बारानी 2 गैर कानूनी रूप से जीता लक्ष्मण पि० केसा छोगा पुत्र बिरदा कौम रेगर के नाम दर्ज करते रहे एवं खसरा संख्या 2 रकबा 1 बीस्वा किस्म चाह एवं खसरा संख्या 3 रकबा 13 बीस्वा 10 बीस्वानसी किस्म दडा जीता लक्ष्मण पुत्र केसा हिस्सा 1/2 छोगा पुत्र बिरदा हिस्सा 1/2 एवं बालू लाखा पि० रूघा भीखा सोहन पि० हीरा के नाम दर्ज करते रहे जिसकी भी पूर्णतया अनदेखी कर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय पारित कर भूल की है। साबिक खसरा संख्या 1 रकबा 5 बीघा 15 बीस्वा किस्म बारानी–2 जिसके नये खसरा संख्या 1 रकबा 5 बीघा 14 बीस्वा किस्म बारानी 2 एवं खसरा संख्या 2 रकबा 1 बीस्वा किस्म चाह तथा साबिक खसरा संख्या 2 रकबा 13 बीस्वा 10 बीस्वानसी किस्म दांती जिसका नया खसरा संख्या 3 रकबा 13 बीस्वा 10 बीस्वानसी किस्म दडा, तन्हा अपीलार्थी संख्या 1 के पति एंव अपीलार्थी संख्या 2 से 5 एवं प्रफोर्मा प्रत्यर्थी संख्या 39 के पिता जीता वल्द केसा कौम रेगर साकिन देह काश्तकार शिकमी मुद्दत 17 साल के नाम दर्ज है जो राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2016 से 2019 एवं भू प्रबन्ध विभाग के मिलान क्षेत्रफल से साबित है। यहाँ यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि उक्त साबिक खसरा संख्या 1 रकबा 5 बीघा 15 बीस्वा किस्म बारानी–2 जिसके नये खसरा संख्या 1 रकबा 5 बीघा 14 बीस्वा किस्म बारानी 2 एवं खसरा संख्या 2 रकबा 1 बीस्वा किस्म चाह तथा साबिक खसरा संख्या 2 रकबा 13 बीस्वा 10 बीस्वानसी किस्म दांती जिसका नया खसरा संख्या 3 रकबा 13 बीस्वा 10 बीस्वानसी किस्म दडा, सन् फसली 1350 में वादी संख्या 1 लगायत 8 एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 16 के पूर्वज बालू हीरा लाखा व रूघा पि० नोला के नाम दर्ज नहीं है ना ही वादी संख्या 9 लगायत 13 एवं प्रतिवादी संख्या 20 तथा प्रतिवादी संख्या 24 से 26 के पूर्वज का नाम ही दर्ज है ना ही प्रतिवादी संख्या 22 का नाम ही दर्ज है। इसी प्रकार फसली सन् 1362 से 1363 में भी उक्त साबिक खसरा संख्या 1 रकबा 5 बीघा 15 बीस्वा किस्म बारानी–2 जिसके नये खसरा संख्या 1 रकबा 5 बीघा 14 बीस्वा किस्म बारानी–2 एवं खसरा संख्या 2 रकबा 1 बीस्वा किस्म चाह तथा साबिक खसरा संख्या 2 रकबा 13 बीस्वा 10 बीस्वानसी किस्म दांती जिसका नया

खसरा संख्या 3 रकबा 13 बीस्वा 10 बीस्वानसी किस्म दडा, में वादी संख्या 1 लगायत 8 एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 16 के पूर्वज बालू हीरा लाखा व रूघा पि० नोला के नाम दर्ज नहीं है ना ही वादी संख्या 9 लगायत 13 एवं प्रतिवादी संख्या 20 तथा प्रतिवादी संख्या 24 से 26 के पूर्वज का नाम ही दर्ज है ना ही प्रतिवादी संख्या 22 का नाम ही दर्ज है। उपरान्त इसके अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित करने में साबिक खसरा संख्या 1 रकबा 5 बीघा 15 बीस्वा जिसके हाल खसरा संख्या 1 व 2 बनें है में वादीगण/प्रत्यर्थीगण 9,10,11,12,13 एवं प्रतिवादी संख्या 20 (प्रत्यर्थी संख्या 33),22 (प्रत्यर्थी संख्या 38) व 24 से 26 (प्रत्यर्थी संख्या 34 से 36) सभी को संयुक्त रूप से खातेदार घोषित कर भूल की है। इसी प्रकार साबिक खसरा संख्या 2 रकबा 13 बीस्वा 10 बीस्वानसी जिसके हाल खसरा संख्या 3 रकबा 13 बीस्वा 10 बीस्वानसी बने में वादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 से 8 व प्रतिवादी संख्या 1 से 16 (प्रत्यर्थी संख्या 14 से 29) को खातेदार घोषित कर भूल की है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 75/2004 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.03.2008 एवं संशोधित डिक्री एवं निर्णय दिनांक 20.10.2014 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि मौजा नरबदखेडा तहसील ब्यावर जिला अजमेर में स्थित साबिक आराजी खसरा नंबर 6 रकबा 06–00–10 जिसके हाल ख०सं० 7 रकबा 01–16–10 व 8 रकबा 01–10–00 79 रकबा 01–10–00 तथा 10 रकबा 01–10–00, बने है तथा साबिक आराजी नं०. 07 रकबा 07 बीघा जिसके हाल नं0 11 रकबा 16 बिस्वा व 12 रकबा 18 बिस्वा व 13 रकबा 18 बिस्वा व 14 रकबा 00–16–10 बिस्वा व 15/1 रकबा 12 बिस्वा 15/2 रकबा 3 बिस्वा 16/1 रकबा 00–14–10, व 16/2 रकबा 04 बिस्वा, 17/1 रकबा 17 बिस्वा 17/2 रकबा 03 बिस्वा व 18/1 रकबा 00–19–10 विस्वा व 18/2 रकबा 02 बिस्वा तथा 19 रकबा 00–08–10 बिस्वा बने है यह विवादित भूमियां 1350 फसली से स्व० सर्व श्री बालू हीरा घासी लाखा, व वादी नं० 1 रूघा पिता नोला जाति रेगर की काश्तकारी में चली आती थी स्व० घीसा जी उनके पिता स्व०. नोला जी के जीवनकाल में ही अपने वंशज श्री चंदा जी के गोद चले गये थे अतः उनका इन आराजीयात में कोई हिस्सा नहीं है न ही उनके वारिसान हिस्से का क्लेम कर रहे है। साबिक आराजी नं० 6 व 7 में सर्व श्री बालू हीरा लाखा रूघा पिता नोला 1350 व 1363 से 1365 की खेवट खतौनी में अकेले काबिज काश्त होने से खातेदार चले आते थे अतः वर्तमान राज० का०अ० के आगमन से पूर्व इनमें काबिज काश्त हुए खातेदार होने से बाय आपरेशन आफ लॉ यह खातेदार हो गये है। इसी प्रकार साबिक आराजी नं0 01 व 04 में केसा बिरदा पिता नृसिंग का ताबीमर्जी कब्जा काश्त था लेकिन साबिक आराजी नं० 01, 04, 06, 07 व 02, 03 व 566 जो 1350 फसली से पूर्व पक्षकारान के पूर्वजों की अलग अलग खातेदारी में दर्ज थी उसे गैर कानूनी रूप से बिना किसी कारण के स्व० केसा के पुत्र जीता व बिरदा पुत्र नृसिंह का 1 हिस्सा तथा बालू हीरा, लाखा रूघा पुत्र नोला का 1 हिस्सा सम्मिलित रूप से दर्ज करते हुए जमाबंदी संवत 2024 से 2027 कायम की गई जबकि साबिक आराजी नं0 06 व 07 में केवल मात्र बालू हीरा, लाखा, रूघा पिता नोला ही खातेदार थे और वे ही इन पर काबिज काश्त थे तथा वर्तमान में वादी रूघा एवं स्व० बालू हीरा, लाखा के वारिसान काबिज काश्त चले आते है। साबिक आराजी नं0 02, 03 व 566 से बने नये नम्बरों पर

कैसा, बिरदा, बालू, हीरा, लाखा पि० नोला व उनके मरने के बाद उनके वारिसान का संयुक्त कब्जा चला आ रहा है अतः साबिक नं० 04 व 06,07,02 व 03 एवं 566 भी दावे में विवादित भूमियां है। साबिक आराजी नं० 06 व 07 से बने हाल नं0 07 लगायत 19 एवं 625 का बाहमी बंटवारा स्व०बालू हीरा, लाखा व वादी रूघा पिता नोला ने उनके जीवनकाल में ही सेटलमेट से पूर्व ही कर लिया था। हाल नं० 8, 11, 18/1, 18/2 कुल रकबा 03–07–10 बालू पुत्र नोला के सेपरेट खाते दर्ज हो गई है किन्तु बालू के स्थान पर कालू दर्ज कर दिया गया है। जिसकी दुरूस्ती की जानी है। इसी प्रकार हाल नं0 10, 13 व 16/1 भीखा सोहन पुत्र हीरा के नाम पृथक खातेदारी में दर्ज की गई किन्तु सहवन से भीखा के स्थान पर भीमा नाम दर्ज हो गया है। जिसकी दुरुस्ती की जानी है, हाल नं0 9, 14, 15/1, 15/2 लाखा पुत्र नोला के खाते दर्ज हो गया है। जिनमें से 15/2 सिवायचक से गैर खातेदारी में आया है। हाल नं0 7, 12, व 17 की भूमियों का पर्चा वादी रूघा के नाम से जारी हुआ लेकिन वर्किगं जमाबंदी में उसके खाते के आराजी नं0 7 व 12 ही लगाई गई है और आराजी नं0 17/1, 17/2 जीता, लक्ष्मण पुत्र केसा व छोगा पुत्र बिरदा के नाम गलत रूप से लगा दी गई है जबकि आराजी नं० 17/1 तो साबिक नं0 07 से बने है तथा 17/2 साबिक नं0 547 सिवायचक से बना व वादी रूघा को इसमें गैर खातेदार दर्ज किया गया है। इस प्रकार इनमें वादी रूघा ही खातेदारी पाने का अधिकारी है। साबिक आराजी नं० 01 व 04 में बिरदा 01/02 हिस्सा था लेकिन इनसे बने हाल नंबरों को अकेले जीता लक्ष्मण पिता केसा के नाम लगा दिये गये है। अतः बिरदा के वारिसान वादीगण सं० 11 से 13 व प्रतिवादीगण 24 से 26 इनमें 1/2 हिस्सा दर्ज कराने के अधिकारी है। इसी प्रकार हाल नं0 53 व 625 में बिरदा के पुत्र सूरजमल के वारिसान 1/4 हिस्से के अधिकारी है। इन गलत इन्द्राजात का लाभ उठाकर प्रतिवादी सं0 21 व 22 वादीगण एवं अन्य सहखातेदार प्रतिवादीगण की कब्जे काश्त की भूमियों पर जबरन कब्जा करने आये इसलिए वाद कारण उत्पन्न हुया। अतः वादीगण 01 से 08 एवं प्रतिवादी सं० 01 से 16 व 20 की ओर से निवेदन है कि विवादित आराजियात में प्रतिवादी सं0 21 व 22 व छोगा पुत्र बिरदा का नाम हटाया जावे तथा इनके स्थान पर वादीगण सं० 01 से 08 प्रतिवादीगण सं0 01 से 16 को इनमें खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा आराजी नं0 17/1,17/2 में वादी रूघा को तन्हा खातेदार घोषित किया जावे इसी प्रकार साबिक आराजी नं0 01 से बने हाल नं0 01 व साबिक नं0 04 से बने हाल नं0 4 व 5 में प्रतिवादी सं0 21 व 22 को 1/2 हिस्से का तथा वादी सं० 09 व 10 प्रतिवादी सं० 20 को 1/4 हिस्से का तथा वादी सं० 11 से 13 एवं प्रतिवादिगण 24 से 26 को 01/04 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे। साबिक आराजी नं0 2 से बने हाल नं0 3 व साबिक नं0 3 से बने हाल नं0 5 तथा साबिक नं0 566 से बने हाल नं0 625 की आराजी के 01 हिस्से में से 1/2 हिस्से का खातेदार प्रतिवादी सं0 21 व 22 को तथा 01/02 हिस्से का खातेदार वादी सं० 09 व 10 तथा प्रतिवादी सं० 20 को 01/04 हिस्से का तथा वादी सं० 11 से 13 व प्रतिवादी सं0 24 से 26 को 01/04 हिस्से तथा 01 हिस्से में वादीगण सं०. 01 से 08 व प्रतिवादी सं० 01 से 16 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर यथानुसार राजस्व अभिलेखों में अमल करवा कर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील को इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

9. हमनें अभिभाषक उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया कि वादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात वास्ते खातेदारी उदघोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 11.03.2008 को स्वीकार कर वादग्रस्त आराजीयात बाबत डिक्री पारित कर दी गई। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.10.2014 को पुनः संशोधित डिक्री जारी किए जाने के आदेश प्रदान कर दिए।

वर्तमान अपीलांट द्वारा एवं अन्य पक्षकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त चुनौतीधीन डिक्री दिनांक 11.03.2008 व संशोधित डिक्री आदेश दिनांक 20.10.2014 को अपास्त किए जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.02.2016 को अपीलांट के पिता प्रतिवादी संख्या 21 जीता वल्द केसा के विरूद्ध पारित एकपक्षीय निर्णय व डिक्री को अपास्त किए जाने हेतु आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.02.2016 को प्रस्तुत किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 29.6.2016 को निरस्त किए जाने का आदेश प्रदान कर दिया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि अपीलांट के पूर्वज प्रतिवादी जीता वल्द केसा को उनके जीवनकाल में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित उक्त राजस्व वाद के विधिवत रूप से नोटिस तामील नहीं हुए और ना ही उनको उक्त राजस्व वाद के विचाराधीन रहने की विधिवत रूप से कोई जानकारी रही हो तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के पूर्वज जीता वल्द केसा के विरूद्ध अविधिक रूप से एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 11.03.2008 पारित कर उक्त निर्णय व डिक्री को दिनांक 20.10.2014 को संशोधित कर निर्णय व डिक्री पारित किए जाने के आदेश प्रदान किए हैं।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अपीलांट द्वारा अपनी ओर से आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उनके द्वारा उक्त एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.03.2008 तथा संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.10.2014 को निरस्त किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था तथा उनके द्वारा अपनी ओर से अपीलांट के पूर्वज जीता वल्द केसा को कभी भी अधीनस्थ न्यायालय के सम्यक रूप से नोटिस तामील नहीं होने के पर्याप्त कारण अपने उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित किए थे। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 30.08. 2005 में जीवराज के हस्ताक्षर हैं परंतु जीवराज नाम का कोई व्यक्ति ना तो प्रकरण में पक्षकार है और ना ही प्रतिवादी संख्या 21/अपीलांट् के वारिसान हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रतिवादी संख्या 21 के नोटिस जारी किए जाने का कोई दस्तावेजात ही उपलब्ध नहीं है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका में प्रतिवादी संख्या 21 को स्वयं नोटिस तामील बाबत अंकन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 21 जीता वल्द केसा है, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जीवराज नामक व्यक्ति को ही प्रतिवादी संख्या 21 मानकर आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाए गए। प्रतिवादी संख्या 22 के नोटिस भी जीवराज नामक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर कर लिए गए हैं।

अपीलांट्स द्वारा अपने प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह कथन किए गए थे कि जीवराज नामक व्यक्ति का उनसे कोई संबंध व सरोकार नहीं है, बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया जाकर प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने के अविधिक आदेश पारित किए गए। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर गौर फरमाकर अपीलांट को

जवाब, साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/अपीलांट के प्रार्थना पत्र बाबत अपने आदेश दिनांक 29.06.2016 को सरसरी तौर से निरस्त किए जाने का आदेश प्रदान कर दिया जो कि न्याय की मंशा के विपरीत व प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के विरूद्ध हैं।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में विधिक त्रुटि कारित हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय व डिक्री निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः गुणावगुण पर निर्णित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

10. अतः अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 75/2004 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.03.2008 एवं संशोधित डिक्री एवं निर्णय दिनांक 20.10.2014 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण से संबंधित पक्षकारान की विधिवत रूप से नोटिस तामील करवाए जाने के उपरांत उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में दावे एवं जवाब दावे का गहनता से अवलोकन कर उस आधार पर तनकीयां निर्मित कर तनकीयात पर उभयपक्षों से साक्ष्य ग्रहण कर प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर निर्णय व डिक्री पारित करें। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.04.2026 को उपस्थित होने हेतु पांबद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 25.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर